

राजस्थान

कतहपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
राजस्थान
पीठासीन अधिकारी

3. रक्षित पत्रावली।

2. प्रार्थी श्री श्री. राजेश कुमार द्वारा दायर की गई रिपोर्ट में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाया।
1. तहसीलदार, कतहपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल प्रतिलिपि :-

क्रमांक : 1875/उत्तर/2018

दिनांक : 01-05-2018

कतहपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
राजस्थान
पीठासीन अधिकारी

क्र.सं.	ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रविधि (अशुद्ध प्रविधि)	आदेश (शुद्ध प्रविधि जो की जाती है)
1.	गाम	191	वर्तमान प्रविधि (अशुद्ध प्रविधि)	आदेश (शुद्ध प्रविधि जो की जाती है)

जकार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-
 खता संख्या
 तहसील व जिला
 पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम की जमाबन्दी समस्त
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुरोध के आधार पर प्रार्थी के "खता संख्या" प्रथम-पत्र एवं पत्रावली व भूअनि.
 में वर्तमान में दर्ज प्रविधि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया

---आदेश---

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कतहपुर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम कोर्ट) कैम्प
 दिनांक

2018/00064